

प्रपत्र-दो

1-विश्वविद्यालय का नाम
2-अध्यादेश/परिनियम क्रमांक एवं नाम

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर

3-अनुशंसा के प्राधिकारी का नाम एवं अनुशंसा की तिथि
4-आय व्यय का विवरण
(अ)कुल आय
(ब)कुल व्यय

परिनियम 26 Provident Fund संशोधन पश्चात [Provident Fund and Gratuity]

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 6/10/2012 एवं दिनांक 1/12/2012

निरंक
पॉचवे वेतनमान में सी.पी.एफ. योजना के शिक्षकों का पॉचवे वेतनमान में मृत्यु सह सेवा उपादान की अधिकतम प्रति शिक्षक राशि 3,50,000/-
29 शिक्षकों की राशि 1,01,50,000/-

छटवे वेतनमान में मृत्यु सह सेवा उपादान की अधिकतम राशि प्रति शिक्षक 10,00,000/-
29 शिक्षकों की राशि रु. 2,90,00,000/-

आगामी पॉच वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले 04 शिक्षकों का सी.पी.एफ. योजना के पॉचवे वेतनमान में मृत्यु सह सेवा उपादान की अधिकतम राशि प्रति शिक्षक 3,50,000/- 04 शिक्षकों की अनुमानित अधिकतम राशि रु. 14,00,000/-

आगामी पॉच वर्षों में सेवा निवृत्त होनेवाले 04 शिक्षकों का छटवे वेतनमान में मृत्यु सह सेवा उपादान की अधिकतम राशि 10,00,000/-
04 शिक्षकों की अनुमानित अधिकतम राशि रु. 40,00,000/-

(स)आवर्ती वित्तीय भार

(1)विश्वविद्यालय स्तर पर

पॉचवे वेतनमान से 1,01,50,000, छटवे वेतनमान से 2,90,00,000/-

(2)राज्य शासन स्तर पर

निरंक

परिनियम का विद्यमान प्रावधान	परिनियम में प्रस्तावित प्रावधान जोड़ा जाना है	प्रस्ताव का औचित्य
1-परिनियम 26 का वर्तमान शीर्षक Provident Fund 2-विश्वविद्यालय के परिनियम 26 में भविष्य निधि संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। परिनियम 26 में सी.पी. एफ. स्कीम के अंतर्गत ग्रेज्युटी का कोई प्रावधान अंकित नहीं किया गया है। परिनियम 26 की छाया प्रति संलग्न है।	1-परिनियम क्रमांक 26 का संशोधित शीर्षक- Provident Fund and Gratuity. 2-The employee Who have opted under C.P.F and who are on regular pensionable establishment of university appointed before 1 st January, 2005 shall be paid gratuity on the same scale and conditions as applicable to the other employees of university who have opted for pension under statute 37. Provided that no gratuity shall be paid if employee resigns or his services are terminated. Provided further that any amount outstanding against his name or any amount under liability incurred by such employees shall be deducted from such gratuity	विश्वविद्यालय के परिनियम 26 में भविष्य निधि संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है परिनियम 26 में सी.पी. एफ. स्कीम के अंतर्गत ग्रेज्युटी का कोई प्रावधान अंकित नहीं किया गया है। अतः परिनियम 26 में, जो कि भविष्य निधि से संबंधित है, ग्रेज्युटी हेतु प्रावधान जोड़ा जाने हेतु एवं उक्त परिनियम का शीर्षक भविष्य निधि (Provident Fund) के स्थान पर (Provident Fund and Gratuity) प्रावधान आवश्यक है।

